

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

प्रार्थना –पत्र नम्बर 03/2023

अनवान सिमरजीत कौर बनाम ओमप्रकाश

प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आरटीए

श्रीमति सिमरजीत कौर पत्नी श्री मदन सिंह जाति जटसिख सरपंच ग्राम पंचायत ढाबा पंचायत समिति संगरिया जिला हनुमानगढ़ ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर चक 6 बीजीपी-ए जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 60/51 के प.न. 206/139 मु.न. 43 किला नं. 1,2,3/0.025 है.प्र (किलो की उतरी दिशा में गांव ढाबा की मुख्य फिरनी से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रत्येक किला में 165 फुट लम्बा एवं 16) फुट चौड़) कुल 0.075 है. कृषि भूमि का रास्ता स्वीकृत करने बाबत निवेदन किया है।

प्रार्थना-पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी ढाबा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर अपने बंटवारे/कब्जा काश्त की चक 6 बीजीपी-ए ज.स. 2073-76 के खाता संख्या 60/51 के प.न. 206/139 मु.न. 43 किला नम्बर 1,2/0.025 है. प्रे. (किलों की उतरी दिशा में गांव ढाबा की मुख्य फिरनी से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रत्येक किला में 165 फुट लम्बा एवं 16) फुट चौड़ा) कुल 0.050 है. गै.मु. रास्ता दर्ज करने हेतु अपनी सहमति दी गई एवं अप्रार्थीगण सावित्री देवी पत्नी बलवीर सिंह, राजेन्द्र कुमार, विजेन्द्र कुमार पि. बलवीर सिंह समस्त जाति कुम्हार निवासीगण ढाबा ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर अपने बंटवारे/कब्जा काश्त की चक 6 बीजीपी-ए ज.स. 2073-76 के खाता संख्या 60/51 के प.न. 206/139 मु.न. 43 किला नम्बर 3/0.025 है. (किलों की उतरी दिशा में गांव ढाबा की मुख्य फिरनी से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रत्येक किला में 165 फुट लम्बा एवं 16) फुट चौड़ा) कुल 0.025 है. गै.मु. रास्ता दर्ज करने हेतु अपनी सहमति दी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र का भली-भांति अवलोकन किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251 (1) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के नियम-68 से 70 के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के संबंध में सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है:-

क्रियान्विति आदेश

उक्त विवेचन के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 6 बीजीपी-ए जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 60/51 के प.न. 206/139 मु.न. 43 किला नं. 1,2,3/0.025 है.प्र (किलो की उतरी दिशा में गांव ढाबा की मुख्य फिरनी से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रत्येक किला में 165 फुट लम्बा एवं 16) फुट चौड़) कुल 0.075 है.रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्त मंजूरशुद्धा रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक) के रूप में दर्ज किया जावें। जवाब प्रार्थना पत्र आदेश के अभिन्न अंग रहेंगे। तहसीलदार राजस्व संगरिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

क्रमांक:—रास्ता स्वीकृति आदेश / 2023 /

दिनांक:—

तहसीलदार (राजस्व),
संगरिया ।

विषय:— प्रार्थना-पत्र संख्या 03 / 2023 समरजीत कौर बनाम औमप्रकाश वगैरा अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए की मुताबिक निर्णय दिनांक 11.02.2023 की पालना करने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थना-पत्र संख्या 03 / 2023 अनवान सिमरजीत कौर बनाम औमप्रकाश वगैरा अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में दिनांक 11.02.2023 को निर्णय पारित किया गया है। मुताबिक निर्णय किसी न्यायालय में अपील या किसी न्यायालय का स्थगन आदेश आदि न हो तो नियमानुसार मुताबिक निर्णय पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न: निर्णय की प्रति



(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया



फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया।

सिमरजीत कौर बनाम औमप्रकाश वगैरा

किस्म मुकदमा 251-ए आरटीए

मुकदमा नम्बर.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुकम की तामील में जारी हुकम
11.02.2023	<p>राष्ट्रीय लोक अदालत में यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए आरटीए का प्रार्थीया श्रीमति सिमरजीत कौर पत्नी श्री मदन सिंह जाति जटसिख सरपंच ग्राम पंचायत ढाबा पंचायत समिति संगरिया जिला हनुमानगढ़ ने इस आशय का पेश किया कि चक 6 बीजीपी-ए जमाबन्दी सम्बत 2073-2076 के खाता संख्या 60/51 के प.न. 206/139 मु.न. 43 किला नं. 1,2,3/0.025 है.प्र (किलो की उत्तरी दिशा में गांव ढाबा की मुख्य फिरनी से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रत्येक किला में 165 फुट लम्बा एवं 16) फुट चौड़ा) कुल 0.075 है. कृषि भूमि का रास्ता स्वीकृत किया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी ढाबा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर अपने बंटवारे/कब्जा काश्त की चक 6 बीजीपी-ए ज.स. 2073-76 के खाता संख्या 60/51 के प.न. 206/139 मु.न. 43 किला नम्बर 1,2/0.025 है. प्रे. (किलों की उत्तरी दिशा में गांव ढाबा की मुख्य फिरनी से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रत्येक किला में 165 फुट लम्बा एवं 16) फुट चौड़ा) कुल 0.050 है. गै.मु. रास्ता दर्ज करने हेतु अपनी सहमति दी गई एवं अप्रार्थीगण सावित्री देवी पत्नी बलवीर सिंह, राजेन्द्र कुमार, विजेन्द्र कुमार पि. बलवीर सिंह समस्त जाति कुम्हार निवासीगण ढाबा ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर अपने बंटवारे/कब्जा काश्त की चक 6 बीजीपी-ए ज.स. 2073-76 के खाता संख्या 60/51 के प.न. 206/139 मु.न. 43 किला नम्बर 3/0.025 है. (किलों की उत्तरी दिशा में गांव ढाबा की मुख्य फिरनी से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रत्येक किला में 165 फुट लम्बा एवं 16) फुट चौड़ा) कुल 0.025 है. गै.मु. रास्ता दर्ज करने हेतु अपनी सहमति दी गई।</p> <p>अतः पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड व प्रार्थना पत्र का अवलोकन के बाद प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र की पुष्टि होनी पाई जाती है अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है व यह आदेश दिया जाता है कि चक 6 बीजीपी-ए जमाबन्दी सम्बत 2073-2076 के खाता संख्या 60/51 के प.न. 206/139 मु.न. 43 किला नं. 1,2,3/0.025 है.प्र (किलो की उत्तरी दिशा में गांव ढाबा की मुख्य फिरनी से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रत्येक किला में 165 फुट लम्बा एवं 16) फुट चौड़ा) कुल 0.075 है.रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्त मंजूरशुद्धा रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक) के रूप में दर्ज किया जावें। जवाब प्रार्थना पत्र आदेश के अभिन्न अंग रहेगें। तदनुसार दुरुस्ती हेतु तहसीलदार संगरिया को लिखा जाकर पालना करवाई जावें। बाकी इन्द्राजत यथवात रहेगें। मिसल फैसल शुमार होकर दाखित दफ्तर हो।</p>	